प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक 554/2011

याचिकाकर्तागण: गुनाराम लिलहरे और अन्य।

बनाम

उत्तरवादीगण: संतराम वर्मा व अन्य।

(याचिका अंतर्गत धारा 482, दंड प्रक्रिया संहिता)

उपस्थिति:

श्री समीर सिंह की ओर से श्री वी.के. साहू, अधिवक्ता याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित हुए।

श्री मनीष उपाध्याय, अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित हुए।

श्री राकेश झा,(उप शासकीय अधिवक्ता) राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित हुए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(दिनांक- 1.12.2011 को पारित)

ग्राहयता पर सुना गया।

2. यह याचिका याचिकाकर्तागण द्वारा, दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 43/2010 में दिनांक 6.7.2011 को पारित आदेश, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 256 दंड प्रक्रिया संहिता को दिनांक 29.10.2010 को खारिज करने के आदेश को यथावत रखा गया था, से व्यथित होकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत प्रस्तुत की गई है।

3. उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा वर्ष 2008 में याचिकाकर्तागण/अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत अपराध कारित करने का आरोप लगाते हुए परिवाद प्रस्तुत की गई

थी। दिनांक 29.10.2010 को, याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र पर आपत्ति पर बहस के लिए सुनवाई तय की गई थी, लेकिन उस दिन उत्तरवादी क्रमांक 1, यानी परिवादी, उपस्थित नहीं थे। माननीय मजिस्ट्रेट ने परिवादी की अनुपस्थिति अभिलिखित कर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और दिनांक 15.11.2010 को बहस और आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्तागण के अनुसार, दिनांक 29.10.2010 को परिवादी की अनुपस्थिति के कारण परिवाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 (1) के प्रावधान के तहत खारिज होने योग्य थी। दिनांक 29.10.2010 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी, उसे भी दिनांक 6.7.2011 के आपक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिससे यह याचिका उत्पन्न हुई है।

4. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 (1) में निहित आज्ञापक प्रावधान के मद्देनजर, यदि परिवादी उपस्थित नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट के लिए अभियुक्त को दोषमुक्त करना आज्ञापक है। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि आपक्षेपित आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाया गया है जिससे यह पता चले कि मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करने के बजाय मामले की सुनवाई को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करने का कोई उचित कारण था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इसके विपरित, उत्तरवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 (1) में निहित प्रावधान मजिस्ट्रेट को परिवाद खारिज करने या मामले की सुनवाई स्थगित करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मामला केवल आपत्ति आवेदन पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया था जो कि परिवादी की अनुपस्थिति में भी की जा सकती है। आगे यह भी कहा गया कि मामले की परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट ने विवेकपूर्ण निर्णय लिया है। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय सत्र न्यायाधीश ने मामले की विभिन्न परिस्थितियों पर विचार किया है, जिनमें यह भी शामिल है कि अभियुक्तों को समन तामील किए जाने के बाद भी परिवाद को बार-बार स्थगित किया गया, क्योंकि अभियुक्त विभिन्न तिथियों पर उपस्थित नहीं थे। अपने तर्कों के समर्थन में, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **मोहम्मद अज़ीम बनाम ए. वेंकटेश और अन्य[1], एस. आनंद बनाम वासुमति चंद्रशेखर[2] और जी. सुंदरेशन बनाम एम. एस. हार्डवेयर्स और अन्य[3]** के मामलों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया।

---

[1] (2002) 7 एससीसी 726

[2] (2008) 4 एससीसी 67

[3] 1995 सीआरआई एल.जे.3243

6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के अंतर्गत परिवादी की अनुपस्थिति के परिणाम निहित हैं, जो मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों की सुनवाई से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धारा 256 नीचे दी गई है:

"256. परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु-

(1) यदि परिवाद पर समन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन, या उसके पश्चातवर्ती किसी भी दिन जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है, परिवादी हाजिर नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट, इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा जब तक कि वह किन्ही कारणों से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक न समझे:
परन्तु जहां परिवादी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है या जहां मजिस्ट्रेट की यह राय है कि परिवादी की वैयक्तिक हाजिरी आवश्यक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसकी उपस्थिति से अभिमुक्ति दे सकता है और मामले की कार्यवाही कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, उन मामलों को भी लागू होंगे, जहां परिवादी की हाजिर न होने का कारण उसकी मृत्यु है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. धारा 256 (1) में विहित प्रावधान यह कहता है कि यदि परिवादी उपस्थित नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा, जब तक कि वह किसी कारण से मामले की सुनवाई को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करना उचित न समझे । उपरोक्त प्रावधान से जुड़ा परंतुक उस स्थिति में प्रावधान करता है जब परिवादी का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा या अभियोजन पक्ष के अधिकारी द्वारा किया जाता है या जब मजिस्ट्रेट की राय में परिवादी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। उस स्थिति में, मजिस्ट्रेट उसकी उपस्थिति से छूट दे सकता है और मामले की कार्यवाही आगे बढ़ा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को **एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद**[4] के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 की वैधानिक योजना की जांच करने का अवसर मिला था और उसमे माननीय न्यायलय द्वारा निम्नलिखित अवलोकन किया गया था:

"16. पुराने संहिता में धारा 247 (या नए संहिता में धारा 256) जैसे प्रावधान को शामिल करने का उद्देश्य क्या था? यह परिवादी द्वारा अपनाई जाने वाली विलंबकारी

[4] (1998) 1 एससीसी 687

रणनीति के विरुद्ध कुछ हद तक निवारक का काम करता है, जिसने अपनी परिवाद के माध्यम से विधि को गति प्रदान की थी। एक अभियुक्त, जिसे सभी नियत तिथियों में न्यायलय में उपस्थित होना आज्ञापक है, उसे परिवादी द्वारा बहुत अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है, यदि परिवादी उन अवसरों पर न्यायलय में उपस्थित नहीं होता है जब उसकी उपस्थिति आवश्यक हो। अतः, यह धारा परिवादी की ऐसी चालों से अभियुक्त को सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि परिवादी की अनुपस्थिति में न्यायलय का यह दायित्व है कि वह अभियुक्त को बिना बुलाए ही दोषमुक्त कर दे।

17. इस धारा को संपूर्ण रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि इस धारा के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने के लिए न्यायालय पर दो प्रतिबंध लगाए गए हैं। पहला यह है कि यदि न्यायालय को लगता है कि किसी परिस्थिति में सुनवाई स्थगित करना उचित है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं करेगा। दूसरा यह है कि जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस दिन परिवादी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट को उसकी अनुपस्थिति से छूट देने और मामले की कार्यवाही जारी रखने का अधिकार है। जब न्यायालय को पता चलता है कि परिवादी किसी विशेष दिन अनुपस्थित है, तो न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या उस दिन मामले की कार्यवाही के लिए परिवादी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है और क्या परिस्थितियाँ किसी अन्य कारण से मामले को किसी अन्य तिथि तक स्थगित करने को उचित नहीं ठहराती हैं। यदि परिस्थितियाँ मामले को स्थगित करने को उचित नहीं ठहराती हैं, तो न्यायालय परिवाद को खारिज करने और अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन यदि उस दिन परिवादी की उपस्थिति बिल्कुल अनावश्यक थी, तो परिवाद को खारिज करने का कदम उठाना इस धारा में परिकल्पित शक्ति का उचित प्रयोग नहीं हो सकता है। अतः विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे दाण्डिक न्याय प्रशासन के उद्देश्य को कोई नुकसान न पहुंचे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अतः उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के अंतर्गत शक्ति विवेकाधीन प्रकृति की है। इसलिए, यह एक सामान्य नियम के रूप में नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक मामले में, जहां परिवादी अनुपस्थित है, परिवादी की याचिका खारिज कर दी जाए और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाए। हालांकि, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में कहा है, प्रावधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को दोषमुक्त करने या

परिवाद पर आगे बढ़ने का जो विवेकाधिकार प्राप्त है, उसका प्रयोग न्याय व्यवस्था को बाधित किए बिना विवेकपूर्ण और निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय सर्वोपरि विचार और मार्गदर्शक सिद्धांत, न्याय व्यवस्था का हित होना चाहिए। किसी मामले में, परिवाद खारिज कर दी जाए और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाए या न्यायालय परिवादी की अनुपस्थिति में भी मामले को खारिज किए बिना आगे बढ़े, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और इस संबंध में कोई निश्चित सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

9. उपरोक्त अनुसार, मजिस्ट्रेट को विवेक का प्रयोग न्यायपूर्ण और उचित तरीके से करना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 (1) की भाषा मजिस्ट्रेट से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने की अपेक्षा करती है। धारा 256 (1) में निहित विधिक प्रावधान स्पष्ट रूप से विधायी आशय को दर्शाता है कि कोई ऐसा कारण होना चाहिए, जो मजिस्ट्रेट की राय में, मामले की सुनवाई को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करना उचित ठहराए, न कि केवल परिवादी की अनुपस्थिति में परिवाद को खारिज करना। इसलिए, मजिस्ट्रेट द्वारा परिवादी की अनुपस्थिति में अभियुक्त को दोषमुक्त करने की बजाय मामले की सुनवाई स्थगित करने के आदेश, में यह जरुर दर्शाना चाहिए कि मजिस्ट्रेट ने मामले पर विचार किया था। इस स्तर पर, उत्तरवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क पर विचार करना आवश्यक होगा कि कोई कारण दर्ज करना आवश्यक नहीं है। यह सत्य है कि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को अपने कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करना आवश्यक है, लेकिन वह कारण जिसके कारण मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करना उचित समझा, आदेश में ही स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो। अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय मजिस्ट्रेट को कुछ भी अभिलिखित करने से मुक्त करना वैधानिक प्रावधानों को अर्थहीन बना देगा। परिवादी की अनुपस्थिति में भी मजिस्ट्रेट द्वारा दोषमुक्त न करने का निर्णय, अभियुक्त के खिलाफ दाण्डिक मुकदमे को जारी रखने की अनुमति देता है। इस प्रकार के विवेकाधीन अधिकार के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले गंभीर परिणामों को ध्यान में रखते हुए, धारा 256 (1) में निहित प्रावधान की व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए और जहाँ तक संभव हो अभियुक्त के पक्ष में, न कि परिवादी के पक्ष में की जानी चाहिए। इसलिए, यद्यपि परिवादी की अनुपस्थिति में मजिस्ट्रेट के लिए परिवाद को खारिज करना आज्ञापक नहीं है, फिर भी, इस शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए, जिसमें दाण्डिक न्याय प्रशासन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सर्वोपरि हो। परिणामस्वरूप, यदि मजिस्ट्रेट परिवादी की अनुपस्थिति में परिवाद को खारिज करने के बजाय उस पर आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तो मजिस्ट्रेट के आदेश में कुछ कारण अवश्य ही दर्शाए जाने चाहिए, चाहे वे कितने भी संक्षिप्त क्यों न हों। यह तर्क स्वीकार करना कठिन है कि, चूंकि प्रावधान के अनुसार मजिस्ट्रेट को लिखित में कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है तो आदेश में कुछ भी शामिल होना आवश्यक नहीं है। यदि ऐसा तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो विधि में निहित प्रावधान अर्थहीन, अनावश्यक और अप्रभावी हो जाएंगे।

10. अतः मैं **जी. सुंदरेशन** (उपरोक्त) मामले में लिए गए दृष्टिकोण से विनम्रतापूर्वक असहमत हूँ। **मोहम्मद अज़ीम** (उपरोक्त) मामले में यह पाया गया कि एक ही गलती के कारण परिवाद खारिज कर दी गई थी और यद्यपि परिवाद को पुर्नस्थापित करने के लिए पर्याप्त कारण बताए गए थे, फिर भी अत्यंत कठोर और अन्यायपूर्ण रवैये के परिणामस्वरूप आवेदन खारिज कर दिया गया और न्याय का उल्लंघन हुआ। उस मामले (**मोहम्मद अज़ीम**) में सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर विचार किया कि पुर्नस्थापित के लिए बताए गए कारण उचित और न्यायसंगत थे कि परिवादी से सुनवाई की तारीख को दर्ज करने में गलती हुई थी।

एस. आनंद (उपरोक्त) के मामले में यह पाया गया कि परिवादी की ओर से साक्षियों की परीक्षण पहले ही हो चुका था और जिस तारीख को परिवादी अनुपस्थित रहा, वह तारीख बचाव पक्ष के साक्षियों के परीक्षण के लिए नियत थी। यह देखा गया कि यदि उत्तरवादी चाहता तो वह अपने साक्षियों की परीक्षण करा सकता था तथा परिवादी की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। इस पृष्ठभूमि में, परिवाद को खारिज करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के तहत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट के आदेश में इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि परिवादी की अनुपस्थिति के कारण मामले को खारिज करने के बजाय सुनवाई स्थगित करना उचित क्यों था। यद्यपि पुनरीक्षण में पारित आदेश से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को उचित ठहराने के लिए मामले की परिस्थितियों पर विचार किया है, फिर भी इस न्यायालय की राय में, मजिस्ट्रेट के आदेश में कुछ भी अभिलिकित न होने के कारण, पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा परिस्थितियों की जांच अनावश्यक थी। मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के तहत शक्ति का प्रयोग कर अवैधता कारित की गई है और यह स्वयं हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त है।

12. परिणामस्वरूप, मजिस्ट्रेट और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश मान्य नहीं हैं और इन्हें अपास्त किया जाता है। मामले को माननीय मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजा जाता है ताकि वे मामले की परिस्थितियों पर विचार करें और न्यायसंगत एवं निष्पक्ष तरीके से विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दाण्डिक न्याय प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक उचित आदेश पारित करें।

13. याचिका को तदनुसार अंतिम रुप से निराकृत किया जाता है।

सही/-

मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by – Vidhi Mehta